

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'चालीस'

प्रश्न सं. [क. 6422]

दिनांक (०३/१)  
[21/3/2017]

26

समस्त अतिरिक्त सहायक द्वारा प्राप्त जानकारी

क.	जिला	प्राध्यापक			सहायक प्राध्यापक		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	उज्जैन	137	67	70	1086	623	463
2.	जबलपुर	124	44	80	1321	733	588
3.	सागर	73	19	54	788	354	436
4.	रीवा	84	15	9	945	448	497
5.	भोपाल	150	50	59	1417	500	464
6.	इंदौर	116	70	39	1121	768	395
	कुल योग	684	265	311	6678	3426	2843

रिजिस्ट्रेशन - 2

अनुसूची-दो  
(नियम 8 देखिये)

सं. क्र.	पदों के नाम	भर्ती का तरीका		
		सीधी भर्ती.	पदोन्नति/ चयन/स्थानन पदनाम	अन्य सेवाओं में प्रतिनियुक्ति द्वारा
1	2	3	4	5
1	प्राचार्य, स्नातकोत्तर महाविद्यालय/अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा	—	100%	5%
2	प्राचार्य स्नातक महाविद्यालय/संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा/राज्य एन.एस.एस. अधिकारी	—	100%	
3	प्राध्यापक	25%	75%	
4	सह-प्राध्यापक / उप संचालक	—	100%	
5	(अ) सहायक प्राध्यापक (प्रवर श्रेणी)	—	100%	
	(ब) सहायक प्राध्यापक (वरिष्ठ श्रेणी)	—	100%	
	(स) सहायक प्राध्यापक	100%	—	
6	(अ) क्रीड़ा अधिकारी (प्रवर श्रेणी: वेतनमान में तीन वर्ष से अधिक की सेवा)	—	100%	
	(ब) क्रीड़ा अधिकारी (प्रवर श्रेणी)	—	100%	
	(स) क्रीड़ा अधिकारी (वरिष्ठ श्रेणी)	—	100%	
	(द) क्रीड़ा अधिकारी	100%	—	
7	(अ) ग्रंथपाल (प्रवर श्रेणी वेतनमान में तीन वर्ष से अधिक की सेवा)	—	100%	
	(ब) ग्रंथपाल (प्रवर श्रेणी)	—	100%	
	(स) ग्रंथपाल (वरिष्ठ श्रेणी)	—	100%	
	(द) ग्रंथपाल	100%	—	

नोट-

- उपर्युक्त अनुसूची के समस्त शैक्षणिक पदों का मातृ 5 प्रतिशत तक अन्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर बाह्य सेवा (Foreign service) जाने हेतु केंद्र सीमित रहेगा।
- उपर्युक्त अनुसूची में उल्लिखित समस्त पदों हेतु न्यूनतम योग्यताएं / वेतनमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय, शैक्षणिक एवं अन्य अकादमिक संवर्गों में उच्च शिक्षा का स्तर बनाये रखने हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं एवं अन्य मापदंड) विनियम, 2010 के अंतर्गत अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार, जैसा कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा तत्समय अंगीकृत किये जाएं, प्रभावशील होंगे।

अनुसूची-तीन  
(नियम 8 देखिए)


सं. क्र.	पदों के नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतर आयु सीमा	विहित शैक्षणिक योग्यता
1	प्राचार्य	—	—	संबंधित पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं अन्य अकादमिक संवर्गों में उच्च शिक्षा का स्तर बनाये रखने हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं एवं अन्य मापदंड) विनियम, 2010 या समय समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित तथा म.प्र. शासन द्वारा अंगीकृत नियमों के अनुसार लागू होंगी।
2	प्राध्यापक	—	—	
3	सह-प्राध्यापक	—	—	
4	सहायक प्राध्यापक	21	40	
5	क्रीड़ा अधिकारी	21	40	
6	ग्रंथपाल	21	40	

*[Signature]*  
6/3/17

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक - 6422 का परिशिष्ट - "ख"

(दिनांक 01.01.2016 से प्रश्न दिनांक तक उच्च शिक्षा विभाग से अन्य विभाग में प्रतिनियुक्त प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापकों की जानकारी )

क्र.	अधिकारी का नाम / पद एवं विषय	महाविद्यालय का नाम जहाँ से प्रतिनियुक्ति पर गये हैं	प्रश्न दिनांक तक उच्च शिक्षा विभाग से अन्य शासकीय विभाग में प्रतिनियुक्त विभाग का नाम	रिमार्क
1.	डॉ. टी.आर. थापक, पदो. प्राध्यापक रसायनशास्त्र	शा. माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन	अध्यक्ष, शुल्क नियामक आयोग, भोपाल	
2.	डॉ. यू.एन. शुक्ला, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य	शा. महा. सिलवानी (रायसेन)	कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल	
3.	डॉ. दिलीप राज द्विवेदी पदो. प्राध्यापक रसायन	शा. महाविद्यालय मंडीदीप जिला रायसेन	सामान्य प्रशासन विभाग - विशेष सहायक,, मंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्रम म.प्र. शासन की निजी स्थापना में ।	
4.	डॉ. आर.पंचभाई सहायक प्राध्यापक गणित	शा. महा. टिमरनी (हरदा)	उप परीक्षा नियंत्रक मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर	
5.	डॉ. राकेश कुशवाह प्राध्यापक वनस्पतिशास्त्र	शा. पी.जी. महाविद्यालय, मुरैना	परीक्षा नियंत्रक जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर	
6.	डॉ. निभा ठाकुर, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र	शा. महा. औबेदुल्लागंज	शा. महावि. खुर्शीपार जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़) में प्रतिनियुक्ति पर	
7.	डॉ. आनंद मिश्रा, पदो. प्राध्यापक इतिहास	शा. महाविद्यालय डबरा जिला ग्वालियर	कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	

  
8/1/17

(वसंत आसलकर)

सहायक संचालक

उच्च शिक्षा म.प्र.